

अनुदान संख्या 16 - खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग
GRANT No. 16-DEPARTMENT OF FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

	कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
			(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	Revenue:		
प्रभारित-	<i>Charged-</i>		
पूरक	<i>Supplementary</i>	2,32,00	1,86,07 -45,93
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	<i>Amount surrendered during the year</i>		38,00
स्वीकृत-	<i>Voted-</i>		
मूल	<i>Original</i>	33735,55,00	
पूरक	<i>Supplementary</i>	11609,48,00	
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	<i>Amount surrendered during the year</i>	45345,03,00	45068,33,83 -276,69,17
			101,76,84
पूंजीगत:	Capital:		
स्वीकृत-	<i>Voted-</i>		
मूल	<i>Original</i>	375,45,00	
पूरक	<i>Supplementary</i>	160,51,00	
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	<i>Amount surrendered during the year</i>	535,96,00	526,36,98 -9,59,02
			9,46,32

टीका और टिप्पणियां**Notes and comments**

1. अनुदान के राजस्व भाग के प्रभारित अंश में, कुल बचतें (45.93 लाख रु.) अक्टूबर, 2008 और फरवरी, 2009 में प्राप्त किए गए 232.00 लाख रु. के पूरक विनियोग का 20 प्रतिशत थीं।

1. In the *charged* portion of the revenue section of the grant, the overall savings (Rs.45.93 lakhs) constituted 20 percent of the supplementary appropriation of Rs.232.00 lakhs obtained in October, 2008 and February, 2009.

बचत निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुई:-

Saving occurred under the following major head:-

		कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
		(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)		
शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष "3456" सिविल पूर्ति	Major Head "3456" Civil Supplies			
पू.	S.	140.00	102.00	95.00
पु.	R.	-38.00		

(I) "अन्य व्यय - सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सुदृढीकरण से संबंधित स्कीम" के अंतर्गत 140.00 लाख रु. की निधियां पूरक विनियोग प्राप्त करके उपलब्ध कराई गई, तथापि, जो रिक्त पदों के न भरे जाने के कारण 45.00 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहीं।

(I) Under "Other Expenditure - Scheme relating to Strengthening Public Distribution System" - funds of Rs. 140.00 lakhs were provided by obtaining supplementary appropriation which, however, remained unutilised to the extent of Rs. 45.00 lakhs - due to non-filling up of vacant posts.

2. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुई/हुआ:-

2. In the voted portion of the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

मुख्य शीर्ष "3451" सचिवालय - आर्थिक सेवाएं	Major Head "3451" Secretariat - Economic Services			
मू.	O.	2160.00	2388.44	2379.48
पू.	S.	451.00		
पु.	R.	- 222.56		
मुख्य शीर्ष "2408" खाद्य, भंडारण और भांडागार	Major Head "2408" Food, Storage and Warehousing			
मू.	O.	3364242.00	4515587.46	4502421.28
पू.	S.	1160496.00		
पु.	R.	-9150.54		

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
		(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)		
शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष "2552" उत्तर पूर्वी क्षेत्र	Major Head "2552" North Eastern Areas			
मू.	O.	800.00		
पु.	R.	-800.00
मुख्य शीर्ष "3456" सिविल पूर्ति	Major Head "3456" Civil Supplies			
मू.	O.	2081.00		
पू.	S.	1.00	2201.80	1888.68
पु.	R.	119.80		-313.12
मुख्य शीर्ष "3601" राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments			
मू.	O.	4040.00		
पु.	R.	-116.54	3923.46	143.93
मुख्य शीर्ष "3602" संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3602" Grants-in-aid to Union Territory Governments			
मू.	O.	230.00		
पु.	R.	-5.00	225.00	0.46

(I) 8303.00 लाख रु. का प्रावधान नौ शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिनमें से 8300.00 लाख रु. निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(का) मुख्य शीर्ष "2408" -

(क) "खाद्य" -

(I) Provision of Rs.8303.00 lakhs remained wholly unutilised under nine heads; of these Rs.8300.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(A) Major Head "2408" -

(a) "Food" -

- (i) “खाद्य आर्थिक सहायता - 1974-75 के लिए लेवी चीनी का कारखाना मूल्य पुनर्निर्धारित किए जाने के कारण दावों के निपटान के लिए देय आर्थिक सहायता” - 300.00 लाख रु. संबंधित चीनी मिलों से अपेक्षित सूचना, समुचित कागजातों और उपयुक्त उत्तर प्राप्त न होने के कारण थे।
- (ii) “अन्य व्यय” -
- (1) “सहकारी चीनी मिलों को नाबार्ड के माध्यम से ब्याज आर्थिक सहायता” - 3642.00 लाख रु. सभी सहकारी चीनी मिलों के लिए वित्तीय पैकेज को अंतिम रूप दिए जाने में विलंब होने के कारण थे।
- (2) “चीनी उपक्रमों को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की स्कीम” - 3498.00 लाख रु. का पूरक अनुदान अक्टूबर, 2008 में प्राप्त किए गए नोडल बैंकों से दावे निर्धारित प्रोफार्मा में प्राप्त न होने के कारण थे।
- (ख) “भंडारण और भांडागार - परक्राम्य भांडागार प्राप्तियां - भांडागार विकास और विनियामक प्राधिकरण” - 60.00 लाख रु. (अक्टूबर, 2008 में प्राप्त किए गए 10.00 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित) भांडागार विकास विनियामक प्राधिकरण की स्थापना न किए जाने के कारण थे।
- (खा) मुख्य शीर्ष “2552” -
- (क) “भंडारण एवं भांडागार - अन्य व्यय - राज्य सरकारों द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र में खाद्य भंडारण गोदामों का निर्माण” - 400.00 लाख रु.;
- (ख) “सिविल पूर्ति - अन्य व्यय - सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सुदृढीकरण से संबंधित स्कीम” - 170.00 लाख रु.; और
- (i) “Food Subsidies - Subsidies payable for settlement of claims on account of Re-fixation of Ex-factory price Levy Sugar for 1974-75” - Rs.300.00 lakhs - due to non-receipt of requisite information, proper documents and suitable replies from the concerned sugar mills.
- (ii) “Other Expenditure” -
- (1) “Interest Subvention to Cooperative Sugar Mills through NABARD” - Rs.3642.00 lakhs - due to delay in finalisation of financial package for all the Co-operative Sugar Mills.
- (2) “Scheme for extending Financial Assistance to Sugar Undertakings” - supplementary grant of Rs.3498.00 lakhs obtained in October, 2008 - due to non-receipt of claims from the Nodal Banks in the prescribed proforma.
- (b) “Storage and Warehousing – Negotiable Warehouse Receipts – Warehouse Development and Regulatory Authority” – Rs.60.00 lakhs (including supplementary grant of Rs.10.00 lakhs obtained in October, 2008) – due to non-setting up of Warehouse Development Regulatory Authority.
- (B) Major Head “2552” -
- (a) “Storage & Warehousing - Other Expenditure - Construction of Food Storage Godowns in N.E. Region by State Govts.” -Rs.400.00 lakhs;
- (b) “Civil Supplies - Other Expenditure - Scheme relating to strengthening Public Distribution System” – Rs.170.00 lakhs; and

(ग) "सिविल पूर्ति - अन्य व्यय - खाद्यान्न प्रबंधन में मूल्यांकन, अनुवीक्षण एवं अनुसंधान और सार्वजनिक वितरण प्रणाली का सुदृढीकरण" - 230.00 लाख रु.।

(c) "Civil Supplies - Other Grants - Evaluation, Monitoring and Research in Food grains Management and Strengthening of Public Distribution System" - Rs.230.00 lakhs.

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीम पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

Provisions under the above three heads remained unutilised due to re-appropriation of part funds to functional heads for utilisation on scheme for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(II) मुख्य शीर्ष "2408" के अंतर्गत अक्टूबर, 2008 में प्राप्त किया गया पूरक अनुदान निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत प्रत्येक के सामने दर्शाए गए अनुसार पूर्णतया अप्रयुक्त रहा:-

(II) Supplementary grant obtained in October, 2008 under Major Head "2408" - remained wholly unutilised under the following heads as shown against each:-

(का) "खाद्य - निदेशन और प्रशासन - वनस्पति, वनस्पति तेल और वसा निदेशालय" - 264.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 58.92 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 322.92 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 123.15 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) रिक्त पदों के न भरे जाने और किफायती उपाय किए जाने के कारण हुई।

(A) "Food - Direction and Administration - Directorate of Vanaspati Vegetable Oils and Fats" - the original provision of Rs.264.00 lakhs was augmented to Rs.322.92 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.58.92 lakhs. However, there was a saving of Rs.123.15 lakhs (including supplementary grant) - due to non-filling up of vacant posts and economy measures.

(खा) "भंडारण और भांडागार - प्रशिक्षण - अनाज बचाओ अभियान" - 200.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 50.85 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 250.85 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 186.08 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) अनाज बचाओ अभियान कार्यालयों के बंद हो जाने के कारण हुई।

(B) "Storage and Warehousing - Training-Save Grain Campaign" - the original provision of Rs.200.00 lakhs was augmented to Rs.250.85 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.50.85 lakhs. However, there was a saving of Rs.186.08 lakhs (including supplementary grant)-due to closure of the Save Grain Campaign offices.

(III) निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अक्टूबर, 2008 दिसंबर, 2008 और फरवरी, 2009 में प्राप्त किया गया पूरक अनुदान प्रत्येक के सामने दर्शाई गई सीमा तक अप्रयुक्त रहा:-

(III) Supplementary grant obtained in October, 2008, December, 2008 and February, 2009 under the following major heads remained unutilised to the extent as shown against each:-

(का) मुख्य शीर्ष "3451" - "सचिवालय - सचिवालय - खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग" - 2136.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 451.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 2587.00 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो रिक्त पदों के न भरे जाने, प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए पर्याप्त

(A) Major Head "3451" - "Secretariat - Department of Food and Public Distribution" - the original provision of Rs.2136.00 lakhs was augmented to Rs.2587.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.451.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of

आवेदन प्राप्त न होने और किफायती उपाय किए जाने के कारण 221.11 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(खा) मुख्य शीर्ष "2408" -

(क) "खाद्य" -

(i) "निदेशन और प्रशासन - चीनी निदेशालय" - 277.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 85.45 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 362.45 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो रिक्त पदों के न भरे जाने और किफायती उपाय किए जाने के कारण 59.90 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(ii) "प्रशिक्षण - राष्ट्रीय चीनी संस्थान" - 810.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 171.84 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 981.84 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो रिक्त पदों के न भरे जाने, कम मजदूरों को काम पर रखे जाने और किफायती उपाय किए जाने के कारण 87.18 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(iii) "खाद्य आर्थिक सहायता" -

(1) "भारतीय खाद्य निगम और अन्यो को खाद्यान्नों के लेन-देन पर देय आर्थिक सहायता" - 2855028.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 1056400.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 3911428.00 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो भारतीय खाद्य निगम द्वारा खाद्यान्नों की कम अधिप्राप्ति किए जाने के कारण 237018.00 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(2) "राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों के माध्यम से वितरण के लिए आयातित खाद्य तेलों के लिए आर्थिक सहायता" - 100000.00 लाख रु. की

Rs.221.11 lakhs- due to non-filling up of vacant posts, non-receipts of sufficient applications for training programme and economy measures.

(B) Major Head "2408" -

(a) "Food" -

(i) "Direction and Administration - Directorate of Sugar" - the original provision of Rs.277.00 lakhs was augmented to Rs.362.45 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.85.45 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.59.90 lakhs - due to non-filling up of vacant posts and economy measures.

(ii) "Training - National Sugar Institute" - the original provision of Rs.810.00 lakhs was augmented to Rs.981.84 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.171.84 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.87.18 lakhs - due to non-filling up of vacant posts, less engagement of labourers and economy measures.

(iii) "Food Subsidies" -

(1) "Subsidy payable to Food Corporation of India and others on Food grains transactions" - the original provision of Rs.2855028.00 lakhs was augmented to Rs.3911428.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.1056400.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.237018.00 lakhs- due to less procurement of food grains by Food Corporation of India.

(2) "Subsidy for imported Edible Oils for Distribution through States/UT Govts." - funds of Rs.100000.00 lakhs were provided by obtaining

निधियां पूरक अनुदान प्राप्त करके उपलब्ध कराई गई थी, तथापि, जो खाद्य तेलों के बाजार मूल्य में कमी आने की वजह से राज्य सरकारों से कम मांग प्राप्त होने कारण 57574.69 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहीं।

supplementary grant which, however, remained unutilised to the extent of Rs.57574.69 lakhs - due to receipt of less demand from State Governments owing to decrease in market prices of edible oils.

(ख) “भंडारण और भाडागार - अनुसंधान और मूल्यांकन - गुणवत्ता नियंत्रण प्रकोष्ठ” - 549.50 लाख रु. के मूल प्रावधान को 156.13 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 705.63 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो रिक्त पदों के न भरे जाने और किफायती उपाय किए जाने के कारण 136.19 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(b) “Storage and Warehousing - Research and Evaluation - Quality Control Cell” - the original provision of Rs.549.50 lakhs was augmented to Rs.705.63 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.156.13 lakhs which, however, remained unutilised to extent of Rs.136.19 lakhs - due to non-filling up of vacant posts and economy measures.

(IV) मुख्य शीर्ष “2408” - “खाद्य” के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

(IV) Under Major Head “2408” – “Food” – savings occurred under the following heads:-

(का) “खाद्य आर्थिक सहायता - लेवी चीनी, चीनी के आयात इत्यादि के कारण भारतीय खाद्य निगम व अन्यो को देय चीनी संबंधी आर्थिक सहायता” - 17987.00 लाख रु. की बचत (26200.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वित्त मंत्रालय द्वारा किफायती उपाय के रूप में आर्थिक सहायता में कमी किए जाने और भारतीय खाद्य निगम से कम मांग प्राप्त होने के कारण हुई।

(A) “Food Subsidies – Sugar Subsidy payable to FCI and others on account of levy sugar, import of sugar etc.” – saving of Rs.17987.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.26200.00 lakhs) was due to reduction of subsidy by the Ministry of Finance as austerity measures and receipt of less requirement from Food Corporation of India.

(खा) “अन्य व्यय” -

(B) “Other Expenditure” -

(क) “चीनी के सुरक्षित भंडार के रख-रखाव के लिए आर्थिक सहायता” - 7756.83 लाख रु. की बचत (35000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(a) “Subsidy for maintenance of Buffer Stocks of Sugar” - saving of Rs.7756.83 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.35000.00 lakhs); and

(ख) “निर्यात पोतारोहण पर चीनी कारखानों को आंतरिक परिवहन और भाड़ा प्रभारों की प्रतिपूर्ति और अन्य अनुमत दावों की अदायगी” - 1500.00 लाख रु. की बचत (30000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(b) “Reimbursement of Internal Transport and freight charges to sugar factories on export shipments and payment of other permissible claims” - saving of Rs.1500.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.30000.00 lakhs).

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें किफायती उपायों की वजह से वित्त मंत्रालय द्वारा कटौती लागू किए जाने के कारण हुई।

Savings under the above two heads were due to cut imposed by the Ministry of Finance owing to austerity measures.

(ग) “चीनी उद्योग के विकास के लिए सहायता अनुदान” - 265.25 लाख रु. की बचत (300.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) गारंटी संस्थाओं से आवश्यक दस्तावेज/सूचना प्राप्त न होने के कारण हुई।

(V) मुख्य शीर्ष “3456” - “अन्य व्यय - सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सुदृढीकरण से संबंधित स्कीम” - 209.94 लाख रु. की बचत (2080.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्य पूरा न होने की वजह से राष्ट्रीय सुव्यवस्थित सरकार संस्थान से बिल प्राप्त न होने के कारण हुई।

(VI) मुख्य शीर्ष “3601” - “केंद्रीय योजना स्कीमों के लिए अनुदान - सिविल पूर्ति - अन्य अनुदान - खाद्यान्न प्रबंधन में मूल्यांकन, अनुवीक्षण और अनुसंधान और सार्वजनिक वितरण प्रणाली का सुदृढीकरण” के अंतर्गत 3896.07 लाख रु. की बचत (4040.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(VII) मुख्य शीर्ष “3602” - “केंद्रीय योजना स्कीमों के लिए अनुदान - सिविल पूर्ति - अन्य अनुदान - खाद्यान्न प्रबंधन में मूल्यांकन, अनुवीक्षण और अनुसंधान और सार्वजनिक वितरण प्रणाली का सुदृढीकरण” के अंतर्गत 229.54 लाख रु. की बचत (230.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें स्कीम को व्यय वित्त समिति से अनुमोदन और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों से उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त न होने के कारण हुई।

(VIII) एक शीर्ष के अंतर्गत 85.68 लाख रु. की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 34 प्रतिशत थी।

3.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (310108.00 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि मुख्य शीर्ष “2408” - “खाद्य - खाद्य आर्थिक

(c) “Grants-in-aid for Development of Sugar Industry” – saving of Rs.265.25 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.300.00 lakhs) was due to non-receipt of required documents/information from grantee institutions.

(V) Under Major Head “3456” – “Other Expenditure – Scheme relating to Strengthening Public Distribution System” – saving of Rs.209.94 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2080.00 lakhs) was due to non-receipt of bills from National Institute for Smart Government owing to non-completion of work.

(VI) Under Major Head “3601” – “Grants for Central Plan Schemes – Civil Supplies – Other Grants – Evaluation, Monitoring and Research in Food Grain Management and Strengthening Public Distribution Scheme” - saving of Rs.3896.07 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.4040.00 lakhs); and

(VII) Under Major Head “3602” – “Grants for Central Plan Schemes – Civil Supplies – Other Grants – Evaluation, Monitoring and Research in Food Grain Management and Strengthening Public Distribution Scheme” - saving of Rs.229.54 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.230.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to non-receipt of approval of the scheme from Expenditure Finance Committee and utilisation certificate from the States/Union Territory Governments.

(VIII) Under one head saving of Rs.85.68 lakhs occurred constituting 34 percent of the sanctioned provision.

3.(I) The above savings were partly (Rs.310108.00 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token

सहायता - खाद्यान्नों की विकेंद्रीकृत अधिप्राप्ति पर राज्य सरकार को आर्थिक सहायता' के अंतर्गत फरवरी, 2009 में 1.00 लाख रु. का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 307397.00 लाख रु. था।

(II) बचतें मुख्य शीर्ष "2408" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गई:-

(का) "खाद्य - निदेशन और प्रशासन - अन्य कार्यालय" - 195.51 लाख रु. का अधिक व्यय (807.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) भारतीय औद्योगिक वित्त निगम और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को बढ़े हुए अभिकरण कमीशन की अदायगी के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(खा) "भंडारण और भांडागार - अन्य व्यय - पूर्वोत्तर क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा खाद्य भंडारण गोदामों का निर्माण" - 371.52 लाख रु. का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीम पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्ष को किए जाने के कारण हुआ।

4. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुई/हुआ:-

supplementary grant of Rs.1.00 lakh in February, 2009 under Major Head "2408" - "Food - Food Subsidies - Subsidy to State Govt. on decentralised procurement of food grains". Actual excess, however, was Rs.307397.00 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under Major Head "2408" - under the following heads:-

(A) "Food - Direction and Administration - Other Offices" - excess of Rs.195.51 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.807.00 lakhs) was due to requirement of additional funds for payment of increased agency commission to Industrial Finance Corporation of India and National Cooperative Development Corporation.

(B) "Storage and Warehousing - Other Expenditure - Construction of Food Storage godowns in NE region by State Govt." - excess of Rs.371.52 lakhs (against nil provision) was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional head for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

4. In the capital section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head	कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
मुख्य शीर्ष "4408"	Major Head "4408"			
खाद्य, भंडारण तथा भांडागार पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Food, Storage and Warehousing			
मू.	O.	1420.00		
पु.	R.	546.18		
		1966.18	1953.48	-12.70

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
		(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)		
शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष "4552" उत्तर पूर्वी क्षेत्रों पर पूँजीगत परिव्यय	Major Head "4552" Capital Outlay on North Eastern Areas			
मू.	O.	500.00		
पू.	S.	955.00
पु.	R.	-1455.00		
मुख्य शीर्ष "6860" उपभोक्ता उद्योगों के लिए कर्ज	Major Head "6860" Loans for Consumer Industries			
मू.	O.	35625.00		
पू.	S.	15096.00	50683.50	50683.50
पु.	R.	-37.50		..

(I) 1455.00 लाख रु. का प्रावधान (फरवरी, 2009 में प्राप्त किए गए 955.00 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित) मुख्य शीर्ष "4552" - "भंडारण एवं भांडागार - सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों में निवेश - भारतीय खाद्य निगम" के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण एक मामले में पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of Rs.1455.00 lakhs (including supplementary grant of Rs.955.00 lakhs obtained in February, 2009) remained wholly unutilised in one case under Major Head "4552" - "Storage & Warehousing - Investments in Public Sector and Other Undertakings - Food Corporation of India" - due to re-appropriation of part funds to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(II) मुख्य शीर्ष "4408" - "भंडारण और भांडागार - सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों में निवेश - भारतीय खाद्य निगम" के अंतर्गत 990.00 लाख रु. की बचत (1300.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) भूमि उपलब्ध न होने की वजह से राज्यों से खाद्य भंडारण गोदामों के निर्माण के लिए कम मांग प्राप्त होने के कारण हुई।

(II) Under Major Head "4408" - "Storage and Warehousing - Investments in Public Sector and Other Undertakings - Food Corporation of India" - saving of Rs.990.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1300.00 lakhs) was due to receipt of less demand from States for construction of food storage godowns owing to non-availability of land.

(III) मुख्य शीर्ष "6860" - "चीनी - सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों को कर्ज - गन्ना विकास के लिए चीनी कारखाने" के अंतर्गत 1849.27 लाख रु. की बचत (2500.00

(III) Under Major Head "6860" - "Sugar - Loans to Public Sector and Other Undertakings - Sugar Mills for Cane Development" - saving of

लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अधूरे आवेदन पत्र प्राप्त होने, करार और प्रतिभूतियां समय पर निष्पादित न किए जाने के कारण हुई।

5.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (1849.27 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि मुख्य शीर्ष "6860" - "चीनी - सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों को कर्ज" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत फरवरी, 2009 में 15096.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

(का) "चीनी मिलों का पुनर्वास/आधुनिकीकरण" - 249.27 लाख रु.।

(खा) "बायोगैस आधारित सहउत्पादन विद्युत परियोजना के लिए चीनी कारखाने" - 1600.00 लाख रु.।

(II) बचतें मुख्य शीर्ष "4408" - "भंडारण और भांडागार - अन्य व्यय - भारतीय खाद्य निगम द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र में खाद्य भंडारण गोदाम का निर्माण" के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं - 1545.00 लाख रु. का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "4552" से कार्यात्मक शीर्ष को किए जाने के कारण हुआ।

6. चीनी विकास निधि:-

चीनी विकास निधि, 1982 (संक्षिप्त रूप में एसडीएफ अधिनियम) की स्थापना चीनी कारखानों के पुनर्वास और आधुनिकीकरण के साथ-साथ गन्ना विकास तथा अनुदान उपलब्ध कराकर चीनी उद्योग के विकास को परिलक्षित करते हुए अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए रियायती दरों पर कर्जों के माध्यम से वित्तीय सहायता देने के उद्देश्य से किया गया था। इस निधि का उपयोग चीनी की कीमत में स्थायित्व रखने के लिए बफर स्टॉक को बनाने और उसके रख-रखाव के उद्देश्य पर होने वाले व्यय को चुकाने के लिए भी किया जाएगा।

चीनी उपकर नियम, 1982 (जिसे इस अधिनियम के अंतर्गत बनाया गया था) में चीनी कारखानों द्वारा प्रस्तुत की जाने

Rs.1849.27 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2500.00 lakhs) was due to non-receipt of complete applications, non-execution of agreement and securities in time.

5.(I) The above savings were partly (Rs.1849.27 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grant of Rs.15096.00 lakhs in February, 2009 under Major Head "6860" - "Sugar - Loans to Public Sector and Other Undertakings" - under the following heads:-

(A) "Rehabilitation/Modernisation of Sugar Mills" - Rs.249.27 lakhs.

(B) "Sugar Factories for bagasse based cogeneration power project" - Rs.1600.00 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under Major Head "4408" - "Storage and Warehousing - Other Expenditure - Construction of food storage godown in North Eastern Region by FCI" - excess of Rs.1545.00 lakhs (against nil provision) was due to re-appropriation of funds from Major Head "4552" to functional head for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

6. Sugar Development Fund:-

Sugar Development Fund, 1982 (briefly the SDF Act) was created for the purpose of rendering financial assistance through loans at concessional rates for rehabilitation and modernisation of sugar factories as well as for sugarcane development and for encouraging research aimed at development of sugar industry by making grant. The fund shall also be applied for defraying expenditure for the purpose of building up and maintenance of buffer stock of sugar with a view to establishing price of sugar.

The Sugar Cess Rules, 1982 (which were made under the Act) provide for the manner of

वाली लेखाकरण रिपोर्टों और विवरणियों के तरीके, लेखों का रख-रखाव आदि का प्रावधान किया गया है। इस अधिनियम के अंतर्गत उगाही गई और वसूली गई उत्पाद शुल्क की आय के बराबर की राशि, केंद्रीय सरकार द्वारा यथानिर्धारित वसूली लागत द्वारा घटाई गई, चीनी विकास अधिनियम, 1982 के खंड 3 के अधीन स्थापित चीनी विकास निधि में जमा की जाएगी।

वर्ष 2008-2009 के लिए इस निधि का लेखा इस प्रकार था:-

accounting reports and returns to be furnished by sugar factories, maintenance of accounts etc. An amount equivalent to the proceeds of the duty of excise levied and collected under the Act, reduced by the Cost of collection as determined by the Central Governments, shall be credited to the Sugar Development Fund formed under Section 3 of the Sugar Development Act, 1982.

The Account of the Fund for 2008-2009 was as follows:-

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

अथशेष	Opening Balance	1370,34,66
प्राप्तियां	Receipts	823,85,80
अदायगियां	Payments	1073,69,78
अंतशेष	Closing Balance	1120,50,68
